जल सम्भरण नियमावली उपविधि, 2017

1-संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

- (क) यह उपविधि जल सम्भरण नियमावली उपविधि नगर पालिका परिषद्, पिलखुवा जनपद हापुड़ के नाम से जानी जायेगी जो सरकारी गजट में प्रकाशन के पश्चात् लागू होगी।
- (ख) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये
 विभिन्न शासनादेशों के प्रावधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।
- (ग) पालिका की पूर्व में प्रचलित जल सम्भरण नियमावली के प्रभावी रहते हुए इस नियमावली में दरों / शर्तों आदि में किये गये संशोधन भी प्रभावी हो जायेंगें।

नियम व शर्ते-

1—जल संयोजन के लिये पाइप का व्यास—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 228 की उपधारा (1) के खण्ड बी द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाये गये जल संयोजन का पाइप का व्यास 15 मि0मी0 से अधिक न होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अधिशासी अधिकारी किसी भी व्यक्ति के साथ उपर्युक्त आकार से बड़े व्यास के संयोजन द्वारा जल सम्भरण करने का करार कर सकते हैं।

2-जल व्यय की दरें घारा 230-जल व्यय की दरें निम्नवत् होंगी-मीटर विहीन जलमूल्य की दरें प्रतिमाह रुपये में-

क्रमांक	विवरण	15 एम०एम० साइज	25 एम०एम० साइज	35 एम०एम०साइज
1	2	3	4	5
19	घरेलू प्रयोजनार्थ	50.00	75.00	150.00
2	चाय की दुकान	* 50.00	75.00	संयोजन नहीं दिया जायेगा।
3	हलवाई की दुकान, रेस्टोरेन्ट, ड्राई क्लीनर्स	150.00	200.00	190
4	सिनेमा हाल आईस केंडी / फैक्ट्री सर्विस सेन्टर नर्सरी भवन निर्माण	300.00	350.00	
	फैक्ट्री कारखाना			
5	होटल भोजनालय नर्सिंग होम	200.00	250.00	
6	अन्य जिसका विवरण ऊपर न आया हो	60.00	100.00	

^{3—}वार्षिक जलकर के बारहवें भाग में प्रतिबन्ध रहेगा कि मासिक जलमूल्य वार्षिक जलकर के बारहवें भाग में दोनों में जो धनराशि अधिक होगी वहीं प्रतिमाह ली जायेगी।

⁴⁻एक ही भवन के लिये दो या इससे अधिक जल संयोजनों के जलमूल्य में केवल प्रथम जल संयोजन के जलमूल्य में ही जलकर समायोजित किया जायेगा अर्थात दूसरे व अन्य जल संयोजन का जलमूल्य पूर्णरूप से ही देय होगा।

⁵⁻पूरे वित्तीय वर्ष में एक बार अग्रिम बिल तैयार कराकर उपमोक्ता को प्रेषित किये जायेंगे जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष वा अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के होंगे।

6—वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बिल की धनराशि जमा न करने पर अवशेष धनराशि पर आमामी वित्तीय वर्ष में 12 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा। बिल प्रेषण / प्राप्ति तिथि से एक माह की अवधि में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की

7-किरायेदार के रूप में मकान मालिक की लिखित सहमति के बाद जल रायोजन लिये जाने पर अथवा भवन निर्माण के लिये जल संयोजन का एक वर्ष का जलमूल्य अग्रिम रूप में जमा करना होगा। इस अग्रिम जलमूल्य की वापसी जल संयोजन विच्छेद कराने के संमय अन्तिम जलमूल्य के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

8-धारा 232 भवन निर्माण हेतु दिये गये अघरेलू जल संयोजन की अवधि एक वर्ष होगी लेकिन प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण हेतु संयोजन देने के लिए पालिका बाध्य नहीं होगी तथा इस कार्य हेतु दिये गये जल संयोजन के द्वारा उपलब्ध जल के अनुरूप ही आपूर्ति, सम्भव हो सकेगी।

9-धारा 228 की उपधारा 1 ख-अधिशासी अधिकारी जल संयोजन की स्वीकृति देंगे।

- (क) धारा 227—अधिशासी अधिकारी किसी भी आवेदन को जो घरेलू प्रयोजनों से मिन्न प्रयोजनों के लिए स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होंगे किन्तु घरेलू प्रयोजनों के लिए वह किसी भी आवेदन को जिसका भू-गृह आदि पालिका सीमा के भीतर की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होंगे परन्तु यदि पालिका प्रनाड मैन से 30 मीटर से अधिक की दूरी के लिए विस्तार कर आवश्यक है तो आवेदक उसके सगस्त व्यय को वहन करने के लिए तैयार हों।
- (ख) ऐसे आवेदक जो घरेलू प्रयोग से भिन्न प्रयोजन के लिए जल सम्भरण चाहता है पालिका के किसी ऐसे प्रनाड से ऐसे विस्तार का व्यय देना होगा जैसा पालिका के भीतर करना आवश्यक हो।
- (ग) अधिशासी अधिकारी नोटिस द्वारा किसी स्वामी या अध्यासी से जिसकी भूमि पर कोई नाली संडास. शौचालय, मूत्रालय, नलकूप या नलीज या कूड़ा करकट रखने के पात्र को जो किसी जल खोत कुएं, टंकी, जलाशय या अन्य स्रोत के जिसमें से सार्वजनिक उपयोग के लिए जल लिया जाता है या लिया जा सकता हो 50 फुट के भीतर स्थित हो ऐसे नोटिस की तामील से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने का या उसे करने की अपेक्षा कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना निजी पेयजल पालिका की सड़क पर नाली के पास लगाया जाता है तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित को नोटिस देकर उसे एक सप्ताह में हटाने की अपेक्षा कर सकते हैं और ऐसा करने पर उसमें पालिका का जो व्यय होगा वह सम्बन्धित से वसूल सकते हैं।

10-धारा 231 किन्ही अपरिहार्य कारणों के कारण अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल आपूर्ति में यदि कोई बाधा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में उएमोक्ता किसी प्रकार का कोई आन्दोलन अथवा कोई अदालती

11-धारा 294 कोई भी प्रशिक्षित निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति जो प्लम्बरिंग में कम से कम आई०टी०आई० उत्तीर्ण हो अथवा उसके पास इस योग्यता का कोई व्यक्ति सेवायोजित हो पालिका में लाइसेन्स ले सकता है, उसके पास आयकर पेन नम्बर, जी०एस०टी० नम्बर जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र लेबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो फीस के रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2000.00 रुपये पालिका कोष में जमा करायेगा तथा जमानत के रूप में 20000.00 की एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम बंधक होगी पालिका में जमा करायेगा, लाइसेन्स जलकल अभियन्ता / अवर अभियन्ता (जल) की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त जारी होगा। नये जलसंयोजन अथवा मरम्मत अथवा विस्तार के लिए पत्रावली पालिका के पंजीकृत प्लम्बर के माध्यम से ही जमा होगी।

12-यदि कोई उपभोक्ता जल सम्भरण जारी न रखना चाहे तो वह एक माह का लिखित नोटिस देगा जो उक्त जल संयोजन के वाजिब चार्जेज जमा कराकर कटवा देगा। ऐसा नोटिस न देने पर अथवा उपयुक्त चार्जेज जमा न करने पर उपभोक्ता जल के व्ययों तथा किसी अन्य व्यय के लिए जो प्रोदमुत ही, देने के लिए उत्तरदायी होगा।

13-विशेष-उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई रूल्स के नियम 30 और 46 के अभिदेय में निम्नलिखित कार्यों के लिये परिव्यय निम्नलिखित दरों पर देय होग-

(क) रोड कटिंग की दरें प्रति वर्ग मीटर वह ली जायेगी जो लोक निर्माण विभाग की शैड्यूल दरों के अनुसार पालिका के निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा गणना कर दी जायेगी यह दरें नया जल संयोजन कराने अथवा कटवाने अथवा मरम्मत कराने के समय जैसा हो प्रत्येक दशा में देय होगा।

- (ख) नयें जल संयोजन के समय रिजस्ट्रेशन शुल्क 100.00 रुपये, जल संयोजन की जमानत धनराशि 250.00 रुपये, पर्यवेक्षण शुल्क 100.00 रुपये, पाइप जोड़ टेस्ट शुल्क 100.00 रुपये तथा संयोजन कराने अथवा भवन में होने वाली अथवा हो चुकी पाइप फिटिंग की वास्तविक लागत का 15 प्रतिशत की दर पर पालिका कोष में जमा करना होगा। जल संयोजन का काटना शुल्क 200.00 रुपया होगा।
- (ग) उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले जलकल के समस्त पाइप एवं अन्य युक्तियां जहां तक उनका सम्बन्ध आकार प्ररचना भार तथा कार्यकौशल से है उ०प्र० जल निगम के मानकों के अनुरूप होंगी अवर अभियन्ता को भवन स्वामी को सूचना देकर निरीक्षण का अधिकार होगा।

शास्ति

- (क) कोई भी पंजीकृत प्लम्बर बिना संयोजन स्वीकृत कराये तथा उसकी फीस पालिका में जमा कराये स्थल पर संयोजन नहीं करेगा और न ही किसी संयोजन में विस्तार आदि बिना फीस जमा कराये करेगा। यदि कोई प्लम्बर इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा तो दोष सिद्ध हो जाने पर वह अर्थदण्ड का भागी होगा जो 250.00 रुपये से लेकर 1000.00 रुपये तक हो सकता है। ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता की संस्तुति पर प्लम्बर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। लाइसेन्स का नवीनीकरण अथवा रद्द करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।
- (ख) जलकल की किसी विषम परिस्थिति में किसी भी पंजीकृत प्लम्बर को आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य को करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में कार्य न करने वाले प्लम्बर का लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ग) यदि किसी उपभोक्ता का जल संयोजन पाईप टूट जाता है और उसके माध्यम से मुख्य प्रनाड का पेयजल गन्दा होने की सम्भावना हो तो अवर अभियन्ता को अधिकार होगा कि वह ऐसे जल संयोजन को तत्काल बन्द करा दें। इस स्थिति में बन्द कराये गये जल संयोजन की सूचना अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित उपभोक्ता को तीन दिवस के अन्दर देंगे। यदि उपभोक्ता जल संयोजन की नोटिस/सूचना में दिये गये समय के अन्तर्गत सही नहीं करता है तो वह जल परिव्यय देने को इस प्रकार से बाध्य होगा जैसे कि जल संयोजन चालू रहने की स्थिति में होता है।
- (घ) कोई भी उपभोक्ता जो घरेलू संयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिये अधिशासी अधिकारी की अनुमित के बिना जल का उपयोग करता हुआ पाया जायेगा तो दोष सिद्ध हो जाने पर वह प्रथम बार अर्थदण्ड का भागीदार होगा जो 250.00 रुपये से 1000.00 रुपये तक हो सकता है।
- (च) कोई भी मैवन अथवा भू-स्वामी सार्वजनिक सड़क/पार्क/सरकारी भूमि पर निजी सबमर्सिबल पम्प, हैंडपम्प आदि नहीं लगवा सकेगा यदि किसी भवन स्वामी द्वारा ऐसा किया जाता है तो पालिका द्वारा तत्काल पुलिस बल के साथ बोरिंग को उखड़वा दिया जायेगा एवं वह अर्थदण्ड का भागीदार होगा जो 1000.00 रुपये, 10000.00 तक हो सकता है। इस सम्बन्ध में शासन के नियमों व अन्य कानूनों के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (छ) पालिका क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में संक्रामक रोग जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किये गये हों फैलने की दशा में अधिशासी अधिकारी महामारी फैले होने के दौरान बिना सूचना के और किसी भी समय किसी भी पेयजल के स्रोत का निरीक्षण कर सकते हैं और वहाँ से जल लेने से रोकने के लिये अग्रेतर कार्यवाही कर सकते हैं।
- (ज) किसी भवन स्वामी या अध्यासी का कोई निजी जलमार्ग स्रोता, टंकी, कुआँ तथा अन्य स्थान जो जल पीने के उपयोग में लाया जा रहा है अधिशासी अधिकारी उसके स्वामी या अध्यासी को नोटिस के द्वारा यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह इसे अच्छी दशा में रखें और ठीक से मरम्मत करके इसका अनुरक्षण करें व समय-समय पर इसकी सफाई करें और यदि ऐसे किसी स्रोत का जल पीने के लिये अनुपयुक्त हो जाये तो अधिशासी अधिकारी इसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति से इसे अस्थायी या स्थायी रूप से बन्द करने की अपेक्षा कर सकते हैं।
- (झ) यदि किसी भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा ऐसा जलसंयोजन प्रयोग में लाया जा रहा है जो पालिका से स्वीकृत नहीं है तो अधिशासी अधिकारी ऐसे उपमोक्ता को नोटिस के माध्यम से संयोजन को नियमित कराने की अपेक्षा कर सकते हैं एवं संयोजन का नियमानुसार व्यय व मूल्य वसूल करेंगे।

निरसन-यह उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि निरस्त हो जायेगी।

ह० (अस्पष्ट), अधिशासी अधिकारी / प्रशासक, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा।